

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग  
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ.4(1) आ.प्र.एवं सहा./पेयजल/2016/ 3795-829

जयपुर, दिनांक 13.4.2016

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),  
अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा,  
चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर,  
जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली,  
राजसमंद, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ (राज0)।

विषय:- अभाव खरीफ सम्वत 2072 में अभावग्रस्त ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों में  
आपातकालीन पेयजल उपलब्ध कराने बाबत दिशा निर्देश।

प्रसंग:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक: एफ. 4 (1) आ.प्र.एवं सहा./ पेयजल  
2016/3774-705 दिनांक 13.4.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि दिशा-निर्देश के उक्त  
परिपत्र के प्रथम पैरा में संशोधन करते हुए अभिव्यक्ति " जारी करने की दिनांक से अभाव अवधि  
की अंतिम तिथि" के स्थान पर "15.4.2016 से अभाव अवधि की अंतिम तिथि" पढ़ा जावे।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
10. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव